

7.9.21

पत्रावली पेश हुई वकील आपका
 उपस्थित। प्रथम पक्ष के मूल वाद में
 राजीनामा दे जाने के बाद का निस्कारण बेमय
 हो गए। अब प्रथम पक्ष का कोई अधिकार
 नहीं रहने का कारण पक्ष की आवश्यकता नहीं
 स्वर पर आप की जाती है पत्रावली
 फौजदारी अदालत 92 अरु 6 अरु हो

उम्मादुल्लाह
 वकील अदालत, बिलासपुर

